Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 07-12-2006

Participants : Budholiya Shri Rajnarayan

an>

Title: Regarding non-cooperation of forest department in the execution of the developmental projects in the country.

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णयानुसार देशमें आरा मशीनों के उपयोग पर रोक लगी हुई है। इस नियम की आड़ में वन अधिकारी पूरे देश में आरा मशीन चलाने वालों एवं लकड़ी के कार्य करने वाले लोगों को आए-दिन परेशान करते रहते हैं, जिस कारण बढ़ई का काम करने वाले लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी के छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं। बेरोजगारी की भयंकर समस्या धीरे-धीरे उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त देश में प्रतिर्वा विकास कार्यों से संबंधित अनेक बड़ी योजनाएं संचालित होती हैं। उन स्वीकृत योजनाओं का पैसा भी संबंधित ि वभागों के कोा में राज्य सरकार द्वारा भेज दिया जाता है। टैंडर आदि की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाती है। जब ठेकेदार अथवा संबंधित विभाग के सरकारी कर्मचारी काम करने जाते हैं, तब वन विभाग के अधिकारी अकारण अपनी जमीन दिखा कर अनेक जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं में रोक लगा कर अवरोध पैदा कर देते हैं। इससे जनता में काफी जनाक्रोश है। उदाहरण के तौर पर मेरे ही संसदीय क्षेत्र के भेड़ी (हमीरपुर) उ.प्र. से पथरैंटा (जालौन), उ.प्र. तक बनने वाली सड़क एवं बीच में बेतवा नदी पर लम्बी लागत से बनने वाले पुल का निर्माण वन विभाग द्वारा रोक दिया गया है।

अत: आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि देश में होने वाले विकास कार्यों, लकड़ी के कारखानों, बढ़ई वर्ग में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने एवं मेरे संसदीय क्षेत्र के भेड़ी से पथरैंटा तक बनने वाली सड़क एवं बीच में बेतवा नदी पर राज्य सरकार द्वारा लम्बी लागत से बनने वाले पुल के निर्माण में उत्पन्न गतिरोध एवं देश में जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं में वन विभाग से आने वाले अवरोध को शीघ्र दूर करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कट केरं।